बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
अधिसूचना

संख्या–बि०व०से०(आ०)–04/2022 (खण्ड) /प०व०ज०प० पटना–15, दिनांक–...../06/2025

श्री सुनील कुमार शरण, बि०व०से०, (सेवानिवृत) तत्कालीन वन प्रमंडल पदाधिकारी, सुपौल वन प्रमंडल, सुपौल के विरूद्ध दर्ज निगरानी थाना काण्ड संख्या–21/2022 दिनांक–28.04.2022 में प्रत्यानुपातिक धनार्जन से संबंधित आरोप के संदर्भ में उन्हें विभागीय अधिसूचना संख्या–4892 दिनांक–05.12.2022 द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था।

2. प्रत्यानुपातिक धनार्जन से संबंधित आरोपों के संदर्भ में बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3(1), (2) एवं (3) तथा नियम–19(1), (2) एवं (3) के उल्लंघन के लिए श्री शरण के विरूद्ध विभागीय संकल्प संख्या–1323 दिनांक–05.04.2023 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

3. श्री सुनील कुमार शरण दिनांक–30.09.2023 को वार्द्धक्य सेवानिवृत हुए, इस आलोक में उन्हें विभागीय अधिसूचना संख्या–4116 दिनांक–16.11.2023 द्वारा दिनांक–30.09.2023 (अपराह्न) के प्रभाव से निलंबन मुक्त किया गया, जिसमें इनके निलंबन अवधि के संबंध में, इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के उपरांत निर्णय लिये जाने का निदेश संसूचित है। इस प्रकार श्री शरण दिनांक–05.12.2022 से 30.09.2023 तक निलंबित रहे।

4. जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री शरण के विरूद्ध गठित दोनों आरोपों को प्रमाणित पाये जाने के आलोक में उन्हें विभागीय अधिसूचना संख्या–4590 दिनांक–30.12.2024 द्वारा दण्डादेश संसूचित किया गया है।

5. श्री शरण के निलंबन अवधि (दिनांक–05.12.2022 से 30.09.2023 तक) के संबंध में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–11(5) के तहत विभागीय पत्रांक–799 दिनांक–20.02.2025 द्वारा श्री शरण से अभ्यावेदन की माँग की गयी।

6. इस संदर्भ में श्री शरण द्वारा दिनांक–31.03.2025 को समर्पित अभ्यावेदन के सम्यक विचारोपरांत यह पाया गया है कि चूँकि श्री शरण के विरूद्ध गठित सभी आरोप प्रमाणित पाये गये हैं एवं इस आलोक में उन्हें दण्डादेश भी संसूचित किया गया है। अतएव उनका निलंबन उचित था।

वर्णित आलोक में श्री सुनील कुमार शरण, बि.व.से. (सेवानिवृत) के दिनांक–05.12.2022 से 30.09.2023 तक निलंबन में बितायी गयी अवधि के लिए उन्हें दिये गये जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त अन्य कुछ देय नहीं होगा तथा उक्त निलंबन अवधि पेंशन प्रयोजनार्थ कर्त्तव्य पर बितायी गयी अवधि मानी जायेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह०/–
(पूनम कुमारी)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–बि०व०से०(आ०)–04/2022 (खण्ड) /प०व०ज०प० पटना–15, दिनांक–...../06/2025

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै.दा.नि.को.) विभाग, बिहार, पटना/सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(पूनम कुमारी)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–बि०व०से०(आ०)–04/2022 (खण्ड) 2910/प०व०ज०प० पटना–15, दिनांक–09/06/2025

प्रतिलिपि :– मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना/श्री सुनील कुमार शरण, मोहल्ला + पोस्ट + थाना–श्रीकृष्णापुरी, जिला–पटना, पिन कोड–800 001 (बिहार)/आई.टी. मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(पूनम कुमारी)
सरकार के संयुक्त सचिव